



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 967]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2012/ज्येष्ठ 3, 1934

No. 967]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2012/JYAISTHA 3, 1934

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 24 मई, 2012

New Delhi, the 24th May, 2012

का.आ. 1171(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 53च के साथ पठित धारा 53ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायपूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री जी. एस. सरपुरकर को 22 मई, 2012 से पांच वर्ष की अवधि के लिए या 68 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

2. उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें समय-समय पर संशोधित प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2009 द्वारा शासित होंगे।

S.O. 1171(E).—In exercise of the powers conferred by Section 53C read with Section 53F of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby appoints Mr. Justice (Retd.) V.S. Sirpurkar, as Chairperson of the Competition Appellate Tribunal with effect from 22nd May, 2012 for a period of five years or till he attains the age of 68 years whichever is earlier.

2. The terms and conditions of his service will be governed by the Competition Appellate Tribunal (Salaries and Allowances and other terms and conditions of service of Chairperson and other Members) Rules, 2009 as amended from time to time.

[फा. सं. 9/32/2011-सीएस]

[F.No. 9/32/2011-CS]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.